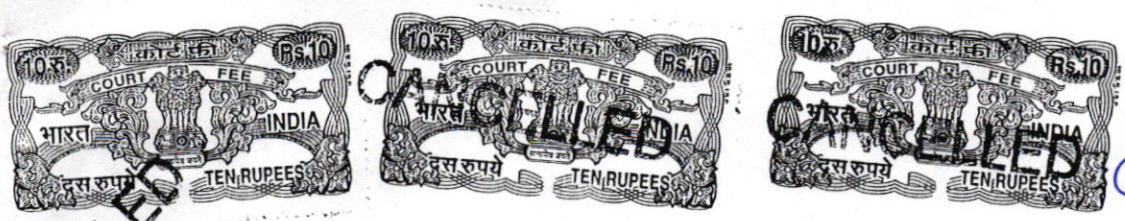

समक्ष न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय जी राजस्व मंडल ग्वालियर §म0प्र0§

कैम्प जबलपुर संभाग, जबलपुर§म0प्र0§

राजस्व प्रकरण क्रमांक: -------------------/2015-16

केदार प्रसाद दुबे आत्मज- स्व0 गौरीशंकर दुबे,
निवासी- कमोदी §गोटेगांव§ तहसील व थाना गोटेगांव
जिला-नरसिंहपुर§म0प्र0§ ----------आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

वि रू द्व

1. सुदामा प्रसाद आत्मज- स्व0 मनसुख लाल दुबे,
निवासी- कामथ वार्ड गोटेगांव तहसल थाना गोटेगांव
जिला-नरसिंहपुर§म0प्र0§

2. महेश कुमार आ0 स्व0 मनसुखलाल दुबे
निवासी- पोस्ट आफिस के पास गोटेगांव तहसील व
थाना गोटेगांव, जिला-नरसिंहपुर§म0प्र0§

3. श्रीमति हलकी बाई जौजे भगवत प्रसाद गुरू,
निवासी- मु.पो.तह.पाटन, जिला-जबलपुर

4. प्रताप दुबे, आ. स्व0 श्री गौरीशंकर दुबे, निवासी-
बरगी कालोनी, गेट नं.-1 के पास तहसील व थाना-
गोटेगांव जिला नरसिंहपुर§म0प्र0§

5. ओंकार प्रसाद आ. स्व0 गौरीशंकर दुबे, निवासी-
बरगी कालोनी गेट नं.-1 के पास तहसील व थाना
गोटेगांव जिला-नरसिंहपुर

6. राजकुमार आ. गौरीशंकर दुबे निवासी-कमोदी पोस्ट
कमोद तह. व थाना गोटेगांव जिला-नरसिंहपुर§म0प्र0§

7. माधव पिता प्रेमनारायण मिश्रा निवासी-देवरी तहसील
थाना देवरी जिला-सागर§म0प्र0§

8. उमेश मिश्रा आ. प्रेमनारायण मिश्रा निवासी-देवरी तह.
व थाना देवरी, जिला-सागर§म0प्र0§

..2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 135–एक/16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.9.2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, गोटेगांव द्वारा प्र0क0 19/अ–6–अ/10–11 में पारित आदेश दिनांक 7–12–15 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के आवेदन को स्वीकार कर आवेदकों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं । 2/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24–8–16 को आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता तथा अनावेदक कं0 1 के अधिवक्ता को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश किए जाने के निर्देश दिए गए थे तथा शेष अनावेदको के विरूद्ध उनके उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । 3/ प्रकरण में केवल आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है । अनावेदक कमांक 12 द्वारा लिखित बहस पेश न करते हुए एक आवेदन एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने हेतु दिया गया है । जिसे विचारोपरांत निरस्त किया जाता है । 4/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण तहसीलदार के आदेश दिनांक 7–12–15 के विरूद्ध प्रस्तुत	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया गया है । प्रकरण में दिनांक 12–10–15 को तहसीलदार ने आदेश पारित किया कि अभिलेख व न्यायदृष्टांतों को देखकर यह प्रकरण वरिष्ठ न्यायालय के निर्णय तक स्थगित किया जाता है । इसके उपरांत प्रकरण में अनावेदक द्वारा एक आवेदन संहिता की धारा 32 के तहत पेश किया गया कि राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–08 का अवलोकन किये बिना दिनांक 12–10–15 का आदेश पारित किया गया है और प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करने का जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत नहीं है क्योंकि राजस्व मंडल द्वारा प्र0क0 निगरानी 777–दो/06 में पारित आदेश दिनांक 28–8–08 के विरूद्ध कोई प्रकरण किसी वरिष्ठ न्यायालय में लंबित नहीं है और ना ही राजस्व मण्डल से कोई स्थगन है । ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल का प्रत्यावर्तन आदेश बंधनकारी होकर उसको अनदेखा करने में त्रुटि हुई है । आवेदन में यह भी लेख किया गया कि अनावेदक कमांक 5 एवं 6 की आपत्ति पूर्व में आवेदकों की इसके संबंध में के आदेश दिनांक 28–8–08आदेश दिनांक 12–1–12, 4–10–12 एवं 16–5–12 द्वारा निरस्त की गई है जिसे अनदेखा किया गया है अतः उक्त आधार पर उन्होंने कार्यवाही को प्रचलित रखने के लिए मांग की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 7–12–15 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया है । प्रकरण मे उभयपक्षों में से किसी ने भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं कि राजस्व मंडल के आदेश के	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 135–एक/16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है । तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक को सूचना देने के आदेश दिए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तहसीलदार का जो आलोच्य आदेश है उसमें कोई त्रुटि नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	